

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1496/2010/भरतपुर

मैसर्स मोदी एजेन्सीज,
भुसावर, भरतपुर

....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन वार्ड-द्वितीय, पाली

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विनय गोयल
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.वैद.

उप राजकीय अभिभाषक

....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09.11.2016

निर्णय

1. अपीलकर्ता ने यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या 1280/उपा-अपील्स/1997-98/ में पारित निर्णय दिनांक 06.05.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। अपीलीय अधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की सिविल याचिका संख्या 555/2003 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स देव ट्रेडिंग कम्पनी में पारित निर्णय के अनुसरण में उक्त आदेश पारित किया है। जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वार्ड-द्वितीय, पाली (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 08.10.1997 से राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(5) के अंतर्गत आरोपित शास्ति रु. 30,780/- को यथावत रखा है।

सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 06.05.2006 द्वारा अपीलकर्ता की अपील अस्वीकार कर सशक्त अधिकारी के आदेश को यथावत रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन संख्या के. ए.-05-6312 को दिनांक 03.10.1997 को निरीक्षण करने पर माल के बिल संख्या 13 दिनांक 25.09.1997 व बिल्टी संख्या 179 दिनांक 26.09.1997 व घोषणा पत्र एस.टी.18ए संख्या 036403 पाये गये। वक्त चैकिंग घोषणा पत्र एस.टी. 18ए पूर्णरूप से खाली पाया गया। अतः अधिनियम की धारा 78(2) का उल्लंघन होने पर धारा 78(5) के तहत नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में दिनांक 03.10.1997 को व्यवसायी फर्म मैसर्स

लगातार..... 2

मोदी एजेन्सीज, भुसावर के अधिकृत मैनेजर श्री रमेशचन्द्र मोदी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचार कर सशक्त अधिकारी द्वारा राशि रुपये 30,780/- शास्ति आरोपित की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 06.05.2006 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

4. अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि परिवहनित माल तमिलनाडु से आयात किया गया था एवं माल भेजने से पूर्व व्यवसायी द्वारा खाली घोषणा पत्र एस.टी.-18 ए क्रेता फर्म को भिजवा दिया गया था लेकिन घोषणा पत्र हिन्दी में होने के कारण एवं तमिलनाडु में हिन्दी भाषा का ज्ञान नहीं होने के कारण कॉलम रिक्त रह गये थे जबकि परिवहनित माल के साथ माल से संबंधित बिल व बिल्टी मौजूद थे जिनमें सभी विवरण मौजूद थे। इस संबंध में व्यवसायी की करापवंचन की कोई मंशा नहीं थी। अतः आरोपित शास्ति अविधिक है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 30 TUD 74 (राज.) वाणिज्यिक कर अधिकारी, चैक पोस्ट शाहजहांपुर अलवर बनाम मैसर्स जे.एल.सी. इलेक्ट्रोमेन्ट (प्रा.) लिमिटेड एवं 42 TUD 234 (राज.) भी प्रस्तुत किये। अतः अपीलार्थी व्यवसायी पर आरोपित शास्ति को अपास्त करने हेतु निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल अधिसूचित श्रेणी का होने के कारण माल के साथ घोषणा पत्र एस.टी.-18ए संख्या 036403 पाया गया जो कि पूर्णतया रिक्त था जिसमें कॉलम संख्या 1 से 9 तक पूर्णतया रिक्त था जो कि कर निर्धारण पत्रावली के पृष्ठ संख्या 11 पर संलग्न है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2007) 18 Tax Update Part 8 पृष्ठ 321 में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि परिवहनित माल के साथ घोषणा प्रपत्र मौजूद था किन्तु रिक्त व अपूर्ण था। इस संबंध में निम्नानुसार न्यायिक दृष्टांत का भाग उद्धृत किया जाना सुंसगत प्रतीत होता है :-

"Before concluding, we may mention that in this batch of civil appeals we have civil appeals filed by the Department. These civil appeals relate to cases where specified documents did not accompanied the goods in movement. The lead case in that regard is Civil Appeal No.5240 of 2005 Assistant Commercial Taxes Officer v. M/s. Guljag Industries Ltd. filed by the Department. We make it clear that our judgment is basically confined to cases

where blank/incomplete Form 18A/18C had accompanied the goods in movement. Whatever we have stated above is in the context of the incomplete Form 18A/18C travelling along with the goods in movement. However, Civil Appeal No.5240 of 2005 and such other civil appeals filed by the State (Department) are those cases where the documents were not accompanied the goods in movement, like, the bills of sale, bills of transport etc. In Civil Appeal No.5240 of 2005 the facts of which have been reproduced hereinabove, show that the case was confined to documents not accompanying the goods in movement. Therefore, the said appeals stand on a different footing. They have nothing to do with incomplete forms travelling along with the goods in movement. These civil appeals filed by the State (Department) shall be decided in the light of the judgment of this Court in D.P. Metals (supra). However, cases where goods in movement were accompanied by Form No.18A/18C without duly signed but incomplete in material particulars like description of goods shall be governed by the law discussed hereinabove by us. "

7. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय "मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी" में प्रतिपादित सिद्धांत उक्त प्रकरण में पूर्णतया लागू होते हैं तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्त्र का आरोपण किये जाने में किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की है। फलतः अपीलार्थी-फर्म द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2006 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।



(खेमराज)
अध्यक्ष